

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./बी/संवि./44/2009/952

भोपाल, दिनांक 6/11/09

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिश्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती पूजा श्रीवास्तव अध्यापक शा.मा.शा. जनकपुर जिला-रायसेन	AT8021	233401117 02	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 4953 दि.05.10.09	नगरपालिका परिषद टीकमगढ़ जिला -टीकमगढ़ जा.क्र. 2980 दि. 22.09.09 शा.क.उ.मा.वि. टीकमगढ़	230806777 03


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

me

10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6/11/09

पृ. क्र./श.क./बी/संवि./44/2009/953
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. नंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित सकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्र./शि.क./बी/संवि./52/2009/ 942

भोपाल, दिनांक 6/11/09

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकास से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अमिता शर्मा सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. टिहोली जिला- ग्वालियर	AR9701	230404042 02	जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर जा.क्र.4007 दि.20.10.09	जनपद पंचायत नरसिंहपुर जिला- नरसिंहपुर जा.क्र. 219 दि. 28.08.09 शा.प्रा.शा. खुरपा	234001113 01
2	श्रीमती कनीज बेगम सहायक अध्यापक शा.उर्दू प्रा.शा. मण्डला जिला- मण्डला	AP6439	234201180 01	नगरपालिका परिषद मंडला जिला- मंडला जा.क्र. 709 दिनांक 07.09.2009	नगर निगम जबलपुर जिला - जबलपुर जा.क्र. 70 दि. 19.06.09 शा.प्रा.उर्दू शा. गोहलपुर नं.2	233902206 07
3	श्रीमती वर्षा दुबे अध्यापक शा.क.पूर्व.मा.शा. बरिगवां जिला- सिंगरौली	BC5944	235002163 02	जिला पंचायत सीधी जिला- सीधी जा.क्र. 4904दि.25.06. 09	जिला पंचायत रीवा जिला - रीवा जा.क्र. 3212 दि. 09.10.09 शा.उ.मा.वि.क. रायपुर	231402777 02
4	श्रीमती सीमा कौशल अध्यापक शा.न.मा.वि. मझगवां कीरत जिला-दमोह	AH9700	231206056 02	जिला पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र. 2737दि. 29.9. 09	जिला पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 1176दि. 05.10.09 शा. हाईस्कूल किरौद	231198666 34
5	श्री देवेश कुमार मालवीय अध्यापक (विकलांग) शा.हाईस्कूल कीलखेड़ा जिला-राजगढ़	AU2795	233001666 03	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 265दि.08.6.09	जिला पंचायत रायसेन जिला -रायसेन जा.क्र. 5054 दि. 21.10.09 शा.मा.वि. हिनौतिया	233406116 02
6	श्री सतीश कुमार सोनी अध्यापक (विकलांग) शा.क.हाईस्कूल विरसिंहपुर जिला- सतना	AW1926	231303001 12	नगर पंचायत विरसिंहपुर जिला सतना जा.क्र. 263 दि.18.9.09	जिला पंचायत रीवा जिला -रीवा जा.क्र. 3436 दि. 26.10.09 शा.मा.वि. जुडमनियां	231401206 02
7	श्रीमती संगीता नरवाल सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि.सियाखेड़ी जिला शाजापुर	AZ7855	232201134 01	जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 145 दि.15.7.09	जनपद पंचायत महिंदपुर जिला -उज्जैन जा.क्र. 1950 दि. 10.08.09 शा.प्रा.वि. आमड़ी	232106004 01



8	श्रीमती जरीना बेगम सहायक अध्यापक शा.पूर्व मा.वि. पारसी जिला उमरिया	BE6752	231509109 02	जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया जा.क्र. 647 दि.24.6.09	जनपद पंचायत ब्योहरी जिला -शहडोल जा.क्र. 498 दि. 08.07.09 शा.पूर्व मा.वि. साखी शा.प्रा.वि. साखी	231602028 01
---	-----------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

संविलियन की शर्तें :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
- वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सोधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
- तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


08/11/09
उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 6/11/09

पृ.क्र./श.क./बी/संवि./52/2009/ 943
प्रतिलिपि :-

- निज सचिव, मा. भंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
- संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
- संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
- संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।



8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./बो/संवि./34/2009/ 948

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 8/11/09

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकास से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्राग्धानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती दीपशिखा नागचंडी सहा. अध्यापक शा.मा.शा. खिल्लीखेड़ा जिला- रायसेन	AT6269	233404139 01	नगर पंचायत औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन जा.क्र. 608 दिनांक 10.08.09	नगर पालिका परिषद कोलार, जिला-भोपाल जा.क्र. 1931 दिनांक 20.08.2009 शा.मा.शा. सलैया	233202166 02

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-5 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।



10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
- “आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


06/11/09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

6/11/09

पृ. क्रं./शि.क./बी/संवि./34/2009/949
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


06/11/09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./शिक./ए/संवि./38/2009/946

भोपाल, दिनांक 06/11/09

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकास से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन को अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री नरेश बाबू गोयल (विकलांग) (अक्षर) वरि. अध्यापक शा.उ.मा.शा. छर्च जिला-शिवपुरी	BB5541	230606777 04	जिला पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 3844 दि.18.06.09	नगर पंचायत बानमौर जिला -मुरैना जा.क्र. 499 दि. 16.06.09 शा.उ.मा.वि. बानमौर	230203777 09


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधे भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।



10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


06/11/09
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 6/11/09

पृ. क्रं./श.क./ए/संवि./38/2009/.947
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मा.प. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


06/11/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/शि.कर्मी/ बी/34/09/944

भोपाल, दिनांक 6/11/09

//संशोधित आदेश//


संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/34/09/684 दिनांक 14.09.09 के सरल क्रमांक 5 पर अंकित श्री संतोष कुमार मांझी, (विकलांग) अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि. लौआर जिला सीधी का संविलियन शा.पूर्व.मा.वि. परासिया जिला रीवा में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश के तारतम्य में जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 3309 दिनांक 05.10.09 के आधार पर आंशिक संशोधन करते हुए वर्णित शाला शा.पूर्व.मा.वि.परासिया के स्थान पर शा. पूर्व मा.वि. मदरो, जनपद पंचायत त्दौथर जिला रीवा में रिक्त पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 6/11/09

पृ. क्रमांक/शि.कर्मी/ बी/34/09/945
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला सीधी/रीवा, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी/रीवा, म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी/रीवा, म.प्र.।
4. संबंधित श्री संतोष कुमार मांझी, (विकलांग) अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि. लाऔर जिला सीधी की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/शि.कर्मी/ बी/44/09/ 950

भोपाल, दिनांक 6/11/09

// संशोधित आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/44/09/831 दिनांक 15.10.09 के सरल क्रमांक 5 पर अंकित श्रीमती अर्चना सोनी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. पथमण्डला जिला देवास को जनपद पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।


उक्त आदेश के तारतम्य में आवेदिका द्वारा संशोधन हेतु प्रस्ताव किये गये आवेदन पत्र के आधार पर आंशिक संशोधन करते हुए जनपद पंचायत राजगढ़ के स्थान पर जनपद पंचायत खिलचीपुर तथा शाला का नाम शा.प्रा.वि. धामदा के स्थान पर शा.प्रा.वि. धामन्या जोगी मान्य करते हुए संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


06/11/09
उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 6/11/09

पृ. क्रमांक/शि.कर्मी/ बी/44/09/ 951
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला देवास/राजगढ़ म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवास/खिलचीपुर (राजगढ़) म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, देवास/राजगढ़ म.प्र.।
4. संबंधित श्रीमती अर्चना सोनी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. पथमण्डला जिला देवास को की ओर सूचनार्थ।


06/11/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.